

Full Title of the Project: Diversion of 0.081 ha of Forest land for laying of drinking water pipe line in various hemlets of morni area (village khera bagra to Matour)

File No. : FCA- (FP/HR/WATER/33818/2018)

Date of Proposal: 25-05-2018

चैक लिस्ट नं0 18

भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार पानी की पाईप लाईन बिछाने के जिन केसों में कोई वृक्ष बाधक न हो, में प्रयोक्ता एजैन्सी से सी0ए0 की राशि नहीं ली जानी है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पानी की पाईप लाईन बिछाने के केसों जिनमें वृक्ष काटा जाना शामिल न हों और राष्ट्रीय उद्यान/ वन प्राणी विहार से बाहर हो, में एन0पी0वी0 की राशि नहीं ली जानी है।

क्योंकि उक्त प्रस्ताव में वन राजिक अधिकारी, पिंजौर की रिपोर्ट के अनुसार Sub Divisional Engineer, Public Health Engg. Sub Division, Pinjore द्वारा पीने का पानी की पाईपलाईन बिछाने के कार्य में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होगा। अतः उक्त प्रस्ताव में चैक लिस्ट नं0 18 तैयार नहीं की गई है।

दिनांक:-

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

Morni-Pinjore Forest Division
PINJORE

18/8/18